भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 79
दिनांक 24 जुलाई, 2025

तेल क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियाँ

†*79. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेल क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियों में भर्ती, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति मानदंडों सहित हाल ही में किए गए परिवर्तनों के पीछे क्या तर्काधार है और इन परिवर्तनों से कर्मचारियों के मनोबल और कार्यबल स्थिरता पर कैसा प्रभाव पड़ा है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यबल युक्तिकरण, संविदात्मक भर्ती के चलन और कौशल विकास पहलों के संबंध में वर्षवार विस्तृत स्थिति रिपोर्ट क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वेतन समानता, लैंगिक विविधता और हाशिए पर चले गए समूहों के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों से संबंधित तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में मानव संसाधन से संबंधित प्रक्रियाओं की कोई स्वतंत्र समीक्षा या संपरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी क्षेत्र के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तनों के दृष्टिगत मुख्य ऊर्जा, हरित ईंधन और डिजिटल प्रचालनों में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियों में क्या सुधार किए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणालियों, स्थानांतरणों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'तेल क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियाँ' के बारे में संसद सदस्य श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत और श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 79 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसईज) की मानव संसाधन नीतियाँ तैयार की जाती हैं। सरकार ने मानव संसाधन नीति सहित वित्तीय और प्रचालन सम्बन्धी मामलों में महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई के बोर्डों को वृहद अधिकार प्रदान किए हैं। चूँकि, अधिकांश प्रमुख तेल सीपीएसईज महारत्न या नवरत्न सीपीएसईज हैं, इसलिए उनके बोर्ड, सरकारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन, बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के लिए स्वयं की मानव संसाधन नीतियाँ बनाने और क्रियान्वित करने में सक्षम हैं।

सरकारी दिशानिर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के निमित्त तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियाँ कंपनी के बोर्ड, बोर्ड की समितियों, सरकार और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा किए गए लेखापरीक्षण, संसदीय समितियों द्वारा परीक्षण आदि जैसे अन्य तंत्रों द्वारा समग्र पर्यवेक्षण के अध्यधीन हैं।

तेल क्षेत्र की सीपीएसईज में नवोन्मेषी कार्यकलापों के माध्यम से मानव संसाधन नीतियों को सम्मुन्नत करने, प्रतिभाओं को आकर्षित करने और अनुरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, इस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने हाल ही में अपनी पदोन्नति नीति में सुधार किए हैं जिससे योग्यता-आधारित संस्कृति को और सुदृढ़ किया जा सके जो कार्यनिष्पादन को निर्बाध रूप से पुरस्कृत करती है और उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है। संशोधित नीति उत्तरदायित्व, योग्यता-आधारित और उत्कृष्टता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि नेतृत्व की भूमिकाएँ उन लोगों को सौंपी जाएँ जो ओएनजीसी के कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ सर्वाधिक संरेखित हों।

तेल क्षेत्र के सीपीएसईज समय-समय पर स्वयं के द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, प्रचालन आवश्यकताओं और उदीयमान औद्योगिक रुझानों के अनुरूप कार्यबल को सुसंगत बनाने, संविदा आधार पर नियुक्ति करने और कौशल विकास सम्बन्धी पहल करते हैं। पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यबल सुसंगतीकरण, संविदात्मक नियुक्ति सम्बन्धी प्रवृत्तियों और कौशल विकास पहलों पर वर्षवार स्थिति रिपोर्ट इस प्रकार है:-

वर्ष	कर्मियों की संख्या	संविदात्मक नियुक्ति*/संलग्न* कर्मियों की कुल संख्या	कौशल विकास पहलों के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या
2020-21	99,531	92,304	54,011
2021-22	96,515	1,83,226	60,177

2022-23	95,515	2,00,638	69,663
2023-24	92,957	2,29,088	62,842
2024-25	92,449	2,49,441	66,243
2025-26 (जून, 2025 तक)	90,075	2,42,519	18,393

स्रोत:ओएनजीसी,ऑयलइंडिया, गेल,आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एमआरपीएल, सीपीसीएल, एन आरएल, बीएलएंडसी और ईआईएल

*-संविदात्मक नियुक्तियाँ शामिल हैं

तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में व्यापक ऑनलाइन कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली, विभिन्न स्तरों के मूल्यांकन प्राधिकारीगण, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआरएस) का पूर्ण प्रकटीकरण और अपील तंत्र हैं जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं।

*****